319/1028
9-3/2018

– आदेश –

जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.449 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए चिन्हित 2.898 है0 सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने हेतु भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतएव वन संरक्षक, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के पत्र सं0–08वीं/यू0सी0पी0/06/217/2016/एफ0सी0/945 दिनांक 07.9.2017 की शर्त सं0–1 के अनुसार उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग की सत्यापन आख्या के आधार पर प्रस्तावित जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली–चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 11 से ग्राम बनियास तक मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाली 1.449 है0 वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण के एवज् में **ग्राम नौली,** प0वृ0 थापली, तहसील कर्णप्रयाग की सीमान्तर्गत चिन्हित ख0खा0सं0–12 के खसरा सं0–126 रकवा 5.086 है0 मध्ये 2.898 है0 भूमि, जो कि उत्तराखण्ड सरकार की नॉनजेडए श्रेणी–10(4) अन्य कारणों से अकृषित भूमि के रूप में दर्ज हैं, को वन विभाग के पक्ष नामान्तरण/हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति शासनादेश सं0–2173/XVIII(II) /2012–18 (120) /2010 दिनांक 17, दिसम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

(आशीष जोशी),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्याः 3179/छब्बीस– 12 (2017–2018) गोपेश्वरः दिनांकः 3 ~~फरवरी~~ मार्च, 2018

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, कर्णप्रयाग।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू–लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कर्णप्रयाग।

9/3/18

2/3/18
जिलाधिकारी,
चमोली।

P.T.O

NZA खतौनी नकल ग्राम नौली रा० उ० नि० क्षेत्र थापली तह० कर्णप्रयाग
जिला चमोली

1	2	3	4	5	
	श्रेणी 10 (4) अन्य कारणों से अकृषक				
12	भीरा	2	7.248		आदेश श्रीमान जिला अधिकारी महोदय (चमोली) के आदेश सं० 3179/छब्बीस-12 (2017-2018) गोपेश्वर दिनांक 3 मार्च 2018 के अनुसार ग्राम नौली के खाता सं० 12 के खसरा नं० 126 रकबा 5.086 मध्ये 2.498 हे० भूमि सिमली चुलाकोट मोटर मार्ग के कि० मी० 11 से ग्राम बाणियास मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के क्रम में वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण हस्तान्तरण की जाने की स्वीकृति शासनादेश सं० 2173/XVIII (II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में मुताबिक आदेश खतौनी में दर्ज किया ह० 28.3.18 रा० उ० नि० थापली
		71	0.553		
		78	0.013		
		81	0.010		
		126	5.086		
		241	0.065		
		312	0.029		
		325	0.008		
		375	0.060		
		413	0.018		
		450	0.030		
		613	0.084		
		617	0.083		
		622	0.014		
		646	0.020		
		693	0.373		
		704	0.039		
		799	0.095		
		19	13.996		

महोदय / NZA खतौनी नकल प्रस्तुत है कृपया

राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र
तहसील कर्णप्रयाग (चमोली)
सिमली
ह० 6.4.18

ह०
तहसीलदार
कर्णप्रयाग

C.S.
ह०
10/04/2018
उप जिलाधिकारी
कर्णप्रयाग